

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 522]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 24, शक 1938

नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2016

क्र.-एफ-3-100-बत्तीस-2010.—रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016 की धारा 20(1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस अधिसूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने की तारीख से मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण का गठन करती है.

2. मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय भोपाल होगा.
3. मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016 एवं मध्यप्रदेश रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) नियम, 2016 में प्रगणित हो.
4. मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, अधिनियम की धारा 23(1) में विहित अवधि के लिये पद धारण करेंगे.
5. मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें, मध्यप्रदेश रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) नियम, 2016 के नियम 20 के उपनियम-1 के अनुसार संदाय किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. के. साधव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2016

क्र.-एफ-3-100-2010-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना दिनांक 15 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. के. साधव, उपसचिव.

Bhopal, the 15th December 2016

No. F-3-100-XXXII-2010.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016), the State Government, hereby establish the Madhya Pradesh Real Estate Regulatory Authority with effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. The Head Office of the Madhya Pradesh Real Estate Regulatory Authority shall be at Bhopal.

3. The Madhya Pradesh Real Estate Regulatory Authority, shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 and Madhya Pradesh Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2016.

4. The Chairman and Member of the Madhya Pradesh Real Estate Regulatory Authority shall hold office for a term as mentioned in Section 23(1) of The Act.

5. The salary, allowances and other perquisites and service conditions shall be in accordance with the Sub-Rule 1 of Rule 20 of Madhya Pradesh Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2016.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
C. K. SADHAV, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2016

क्र.-एफ-3-100-बत्तीस-2010.—राज्य शासन एतद्वारा रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016 की धारा 22 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करता है :-

1. श्री अँटोनी डिसा, — अध्यक्ष  
सेवानिवृत्त मुख्य सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन.

2. अध्यक्ष का कार्यकाल रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016 की धारा 23(1) में विहित अवधि के लिये होगा. अध्यक्ष को पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी.

3. अध्यक्ष को वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें, मध्यप्रदेश रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) नियम, 2016 के नियम 20 के उपनियम-1 के अनुसार संदाय किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. के. साधव, उपसचिव.